

प्रेस विज्ञप्ति

**महिलाओं को हल्के मोटर वाहन चालन हेतु निःशुल्क
प्रशिक्षण हेतु आवेदन विषयक**

सागर/ / सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह गौतम ने बताया कि श्रीमान् परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री प्रदीप कुमार शर्मा से प्राप्त निर्देश के परिपालन में प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग द्वारा सागर में महिलाओं के लिए हल्के वाहन (Light Motor Vehicle) के चालन प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। उक्त 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने पर प्रशिक्षु महिलाओं को नियमानुसार ड्रायविंग लायसेंस प्रदान किया जावेगा।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आवेदन पत्र का प्रारूप एवं प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज संबंधी अधिक जानकारी मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग की वेबसाइट www.mptransport.org से डाउनलोड कर अथवा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (I.T.I.) खुरई रोड, सागर से भी प्राप्त की जा सकती है।

आवेदिका इस आवेदन पत्र के साथ संबंधित दस्तावेज यथा –

- (1) आधार कार्ड की छायाप्रति
- (2) गरीबी रेखा के राशन कार्ड की छायाप्रति (यदि हो तो)
- (3) जाति प्रमाण पत्र छायाप्रति
- (4) जन्मतिथि प्रमाण छायाप्रति
- (5) पासपोर्ट साइज फोटो
- (6) अन्य कोई दस्तावेज जो आवेदिका प्रस्तुत करना चाहती हो

प्रदेश की इच्छुक महिला आवेदिका अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में अंतिम दिनांक 12.07.2021 सांयकाल 05:00 बजे तक “विषय – महिला चालक प्रशिक्षण सत्र” लिखकर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (I.T.I.) खुरई रोड, सागर पते पर प्रस्तुत कर सकती है, निर्धारित समयावधि के पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेगे।

अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर साक्षात्कार के माध्यम से 90 प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें क्रमशः जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर 2021 में 30 प्रशिक्षणार्थी प्रति सत्र के अनुसार चालन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में अंतिम निर्णय समिति का होगा।



आवेदन

(केवल महिलाओं के लिए)

पासपोर्ट
साईज फोटो
स्वहस्ताक्षरित

(1) व्यक्तिगत जानकारी :

आवेदिका / प्रशिक्षणार्थी का पूरा नाम	
आवेदिका के पिता / पति का नाम	
आवेदिका की जन्म तिथि (DD/MM/YY)	
स्थायी पता	
वर्तमान पता	
मोबाइल नम्बर	क्या व्हाटसऐप चालू है ? हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
मोबाइल नम्बर (अन्य कोई)	क्या व्हाटसऐप चालू है ? हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
ई-मेल आई.डी	
आधार कार्ड क्रमांक	
समग्र आईडी क्रमांक	

(2) शैक्षणिक योग्यता :

अकादमिक	
कोई अन्य विशेष योग्यता का विवरण	

(3) श्रेणी :

जाति (मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र होने पर ही (SC/ST/OBC/)	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग

(4) वैवाहिक विवरण :

क्या आवेदिका विवाहित है ?	हाँ	नहीं

(5) आर्थिक स्थिति :

आर्थिक स्थिति	गरीबी रेखा के नीचे BPL	गरीबी रेखा के उपर APL

आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को स्वहस्ताक्षरित कर प्रमाणित करना अनिवार्य है।

दिनांक:.....

स्थान:.....

आवेदिका के हस्ताक्षर

— घोषणा —

मैं घोषणा करती हूँ कि आवेदन फार्म की कड़िका क्रमांक 1 से 5 तक की दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है, यदि दी गयी जानकारी असत्य पाई जाती है, तो मुझे अपात्र घोषित किया जाकर मेरी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

दिनांक:

स्थान:

आवेदिका के हस्ताक्षर